

**ग्राम पंचायत मोतला, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के
लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 04/2021 से 03/2023

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मोतला, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती रक्षा देवी	01-04-2021 से 31-03-2023

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री प्यार चंद	01-04-2021 से 31-03-2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत मोतला, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	5	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तःशेष में अन्तर	0.78
2	6.1	विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान का अवरोधन।	35.48

3	7.1	पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया की वसूली न करने बारे	1.23
4	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने बारे	003
5	8.2	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना X-फॉर्म के क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि।	1.24
6	8.3	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।	0.80
7	9.1	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे	0.66
8	9.2	सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्ट्रों का संधारण नियमानुसार न करने बारे	0.56
9	9.3	मस्ट्रोनों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व विविध अनियमितताओं के कारण हुई वित्तीय हानि	0.22

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत मोतला, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22-03-2024 से 30-03-2024 तक ग्राम पंचायत मोतला के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2021-22	02/2022	03/2022
2	2022-23	03/2023	05/2022

अस्वीकरण:- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत मोतला, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 (हि०प्र०) को शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या-SAD/CBA/2023-24/MT/11 दिनांक:-30-03-2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत मोतला से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत मोतला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 (अ) स्व:-स्रोतों व अनुदान

ग्राम पंचायत मोतला के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक स्व:-स्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 में भी दिया गया है।

1. स्व:-स्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	आय	योग	व्यय	अंतिम शेष
2021-22	615816	558401	1174217	72558	1101659
2022-23	1101659	164999	1266658	57068	1209590

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	आय	योग	व्यय	अंतिम शेष
2021-22	1810104	8140798	9950902	7878143.88	2072758.12
2022-23	2072758.12	9531780.59	11604538.71	8055757.19	3548781.52

कुल योग (1 + 2) = ₹1209590 + ₹3548781.52 = ₹4758371.52

(ब) ग्राम पंचायत मोतला, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि.प्र.)

दिनांक 31/03/2023 को बैंक खातों में अन्तःशेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	अनुदान का नाम	राशि 31-03-2023
1.	18010101687	HPS Co-Op bank Dhulara	Sabha Fund	1098238.62

2.	18310101847	HPS Co-Op bank Dhulara	SBM/SDP/ICDS/ 5th SFC /SF/VKVNY/MG KVY/NRLM/SDR F/VMJS/MPLAD/ SF	1891479
3.	19310104416	HPS Co-Op bank Dhulara	14TH FC	0
4.	50100358478511,	HDFC Draman	15TH FC cash in hand	1846942.52 0
अन्तर (ब-अ) ₹4836660.14-₹4758371.52= ₹78288.62				कुल योग 4836660.14

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनांक 31-03-2023 को राशि ₹78288.62 का अन्तर ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था। जिसका मिलान अतिशीघ्र किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹0.78 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मोतला द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹78288.62 का अन्तर परिशिष्ट-3 अनुसार रोकड़ बही में कम शेष के रूप में है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24/MT/10, दिनांक 30-03-2024 द्वारा पंचायत सचिव को स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि " भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।"

अतः भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹35.48 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा परिशिष्ट 3 पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹3548781.52 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त

अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24/MT/10, दिनांक 30-03-2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मोतला के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि, पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान किस विशेष उद्देश्य/कार्य हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24/MT/10, दिनांक 30-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹1.23 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड

का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव, को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत मोतला के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा सम्पत्ति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पत्ति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित **₹123800.00** की राशि वसूली हेतु शेष थी।

31-03-2023 को गृह कर बकाया राशि का विवरण								
क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति परिवार/	वर्ष के दौरान मांग (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान वसूली (₹)	वसूली हेतु शेष बकाया राशि (₹)
1.	2021-22	60800	630	50	31500	92300	0	92300
2.	2022-23	92300	630	50	31500	123800	0	123800

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24/MT/03, दिनांक 27-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पत्ति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क व विलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹3225/-की वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) तदोपरांत ₹400 (30 से 90 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹50 (30 से 90 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई

फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, **परिशिष्ट - 4** अनुसार उक्त पंचायत सचिव द्वारा वर्ष 2021-22, 2022-23 के विवाह पंजीकरण रजिस्टर में विवाह पंजीकरण शुल्क की व बिलम्ब शुल्क की वसूली कर ली गई थी किन्तु सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण सरकार को राशि ₹3225/- की वित्तीय हानि हुई तथा विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24/MT/04, दिनांक:-27-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली की गई है तथा जिसे जमा कर दिया जायेगा।" अतः उपरोक्त राशि को सम्बन्धित सरकारी खाते/कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा इसके अतिरिक्त पूर्व में जमा विवाह शुल्क जोकि सभा निधि में है उसकी गणना करके उसे भी सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये व अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत मोतला के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24/MT/10, दिनांक:-30-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना X-फॉर्म के क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर पर राशि ₹1.24 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोर्टेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से अत्रापति प्रमाण पत्र X-फॉर्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग चंबा के पत्र संख्या 902 दिनांक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खण्ड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी काटने के आदेश जारी किये गए थे तथा इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा अखबार में प्रकाशित की गई निविदाओं में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अत्रापति प्रमाण पत्र फॉर्म -M/X उपलब्ध न करवाने की दशा में अपेक्षित रॉयल्टी की कटौती हेतु कहा गया था।

परन्तु ग्राम पंचायत मोतला, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णतः अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से न तो कोई अत्रापति प्रमाण पत्र/X-फॉर्म लिया गया और न ही रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती की गई। जिससे कि, सरकार को राशि ₹124627.4/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "5" में दिया गया है।) की संभावित वित्तीय हानि हुई है।

इस गंभीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24/MT/05, दिनांक :-30-03-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती सम्बन्धित संविदाकारों से करके एवं उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं आगामी भविष्य में X फॉर्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समयबद्ध सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।

अतः उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव प्रतीत हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गंभीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अतः इस अनियमितता

को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्यवाही/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.80 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता का GST धारक होने की दशा में निविदाएं स्वीकृत की गई थी। अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹1684462.0 का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "5" में दिया गया है।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके सादे कागज़ पर कर दिया गया है। तथा आपूर्तिकर्ता रेत, बजरी एवं पत्थर में इत्यादि का धारक न होकर अन्य वस्तुओं व सेवाओं हेतु पंजीकृत था इसके अतिरिक्त सरकार को देय कर के साक्ष्य/ चालान भी नहीं पाए गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रामाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹80212.5 की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गंभीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या- SAD/CBA/RK/2023-24/MT/05, :-30-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST कटौती बारे आपूर्तिकर्ताओं से स्पष्टीकरण लेकर यथाशीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर स्पष्ट एवं तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रसीदों पर ही अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवाकर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अतः उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स, बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया। यह गंभीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस

आशय से लाया जाता है कि, ऐसे प्रकरणों की गहन जाच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक धन के दुरुपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

9.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹0.66 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें, कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹66055/-** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, तथा इसके अतिरिक्त उक्त भुगतान प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना किये गये जोकि एक गंभीर अनियमितता है।

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND	PARTICULAR/ DETAIL OF PARTY	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT
1	10/27.09.21	SF	Sudarshan Kumar vill motla	confectionary goods	3895
2	18/10.03.21	SF	M/S Dhiman furniture house Dhulara	table 2*4	3000
3	P-66/28.10.22	15TH FC	Krishan chand Goods Carrier vpo naloh	carriage of stone	9600
4	FFC/22-23/P/3/31-5-22	14TH FC	BALAURIA COMPUTER SERVICE BILL NO 551	PURCHASE OF LAPTOP	49560
				Total	66055

अंकेक्षण अध्याचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24/MT/06, दिनांक :-30-03-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव, ग्राम पंचायत मोतला के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना

कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अतः इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तदनुसार कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 राशि ₹0.56 लाख के सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्ट्रों का संधारण नियमानुसार न करने बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है, परिदान के समय, उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹56455/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नहीं की गई थी

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND	PARTICULAR/ DETAIL OF PARTY	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT
SR. No	Voucher No./Date	Name of Fund	Particular/ Detail Of Party	Discription of item	Amount
1	10/27.09.21	SF	Sudarshan Kumar vill motla	confectionary goods	3895
2	18/10.03.21	SF	M/S Dhiman furnture house Dhulara	table 2*4	3000
3	FFC/22-23/P/3/ 31-5-22	14TH FC	BALAURIA COMPUTER SERVICE BILL NO 551	PURCHASE OF LAPTOP	49560
				TOTAL	56455

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24/MT/07, दिनांक 30-03-2024 द्वारा, सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव द्वारा भविष्य में उक्त अनियमितता को नहीं दोहराया जायेगा।

अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.3 राशि ₹0.22 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत मोतला के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार कुल राशि ₹22418/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतर्कता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।
2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान कर दिया गया था जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

Muster Roll No	CB Page No /Date	Amount	Discription Of Item	Head	Name of Work
50002	p-32/31.05.22	22418	labour payment	15th fc	c/o drain work ward motla
	Total	22418			

अंकेक्षण अध्याचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24/MT/10, दिनांक :-30-03-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, ग्राम पंचायत मोतला के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्यवाही से अवगत करवा दिया जायेगा।" अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.4 SDRF मद में प्राप्त अनुदान राशी से अधिक राशी का व्यय करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट - 1 अनुसार SDRF मद के अंतर्गत 460000.00 की अनुदान राशि प्राप्त हुई थी तथा राशि ₹466865.00 का भुगतान किया गया था तथा अनुदान से अधिक का व्यय किया गया था तथा सभी मदों का बैंक खाता एक था जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया की उक्त व्यय किस मद से किया गया था जोकि पंचायती राज नियमों की अवहेलना है।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24/MT/10, दिनांक :-30-03-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, ग्राम पंचायत मोतला के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्यवाही से अवगत करवा दिया जायेगा।" अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर तथा इसकी प्रतिपूर्ति करके सम्बंधित निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए

9.5 सभा निधि से राशि ₹2500.00 का अनुचित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 46 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा किये जाने वाले खर्चों को मितव्ययिता के साथ किये जाने के नियम प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सभा निधि निम्न विवरण अनुसार पंचायत द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्टर को लाने हेतु गाडी के भाड़े का भुगतान किया गया था किन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा किसी भी तरह के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्टर की खरीद ही नहीं की गई थी तथा उक्त रजिस्टर स्टॉक में भी नहीं पाए गये थे जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा किया गया व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है

SR. No	Voucher No./Date	Name of Fund	Particular/ Detail Of Party	Bill No.	Bill Date (DD/MM/YYYY)	Discription Of Item	Amount
1	02/29.04.22	sf	Rakesh kumar s/o pratap chand po dhulara	nil	nil	carriage paid for death birth register	2500

अंकेक्षण अध्याचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24/MT/10, दिनांक :-30-03-2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि इस अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जायेगा तथा उक्त राशी की वसूली कर ली जाएगी अतः उक्त किये गये भुगतान की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाए।

9.6 निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24/MT/10, दिनांक :-30-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत मोतला के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए हैं और न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जिससे कि पंचायत की वित्तीय स्थिति में अथशेष पंचायत द्वारा बनाई गई परीक्षा संतुलन सूची से लिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24/MT/10, दिनांक :-30-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में ₹1.74 लाख के अन्तर बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYAT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्ट्रों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYAT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेयर में बनाये गए थे वह मैनुअल रोकड़ बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते फलस्वरूप दिनांक 31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार राशि ₹174398.00 का अन्तर पाया गया 31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों संधारित लेखों (रोकड़ बही) में अन्तशेष 31-03-2023 को PRIYASOFT में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष ₹ 4932769.52 31-03-2023 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष ₹4758371.52

अन्तर **174398.00**

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि, पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं जोकि उक्त नियमों के स्पष्ट अवहेलना है इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अध्याचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24/MT/10, दिनांक :- 30-03-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अन्तर का मिलान कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं है क्योंकि PRYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है

अतः दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10.3 पंचायत द्वारा ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अभिलेख जैसे ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण इस विभाग के ऑडिट कोड में वर्णित पंचायत के उक्त अभिलेखों को प्रमाणित नहीं क्या जा सका ।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24/MT/10, दिनांक:-30-03-2024 तथा अंकेक्षण अध्याचना संख्या 10 दिनांक 21.03.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत मोतला द्वारा सूचित किया कि, पंचायत उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा । दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उक्त अभिलेखों को वर्तमान में प्रस्तुत करना था । अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे ।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं

3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)	अपूर्ण
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
6.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
7.	निर्माण कार्य रजिस्टर	-----	103	संधारित नहीं
8.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
10.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
11.	मनरेगा रजिस्टर	16 से 22	10.3.1 से 3.9	अपूर्ण
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24/MT/10, दिनांक :-30-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि "भविष्य में विहित रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।" अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत मोतला की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरुपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

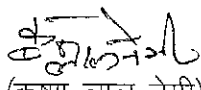
अंकेक्षण अध्याचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24/MT/10, दिनांक :-30-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग

की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. निष्कर्ष:- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्यवाही न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

15 JUN 2024


(कृष्ण लाल नेगी) 15/6
सहायक निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009

2837-2841 का0/90

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 151/2024 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि0प्र0।
- पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मोतला, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

15 JUN 2024


(कृष्ण लाल नेगी) 15/6
सहायक निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009

का0/56

Financial Position of Own Sources in r/o			" GP MOTLA "	Dev. Block "BHATTIYAT"	Distt Chamba H.P
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	615816	558401	1174217	72558	1101659
2022-23	1101659	164999	1266658	57068	1209590

Raebur

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मोतला
विकास खण्ड भटियात
जिला चम्बा (हि0प्र0)

Financial Position of Grant in Aid in r/o GP Motla D.B Bhattiyat Tehsil Chowari Distt Chamba H.P					
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	1810104	8140798	9950902	7878143.88	2072758.12
2022-23	2072758.12	9531780.59	11604538.71	8055757.19	3548781.52

Ricehand
 पंचायत सचिव
 ग्राम पंचायत मोतला
 विकास खण्ड चिपकोट
 जिला चम्बा (हि0प्र0)

Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" GP MOTLA "	Dev. Block BHATTIYAT	Distt Chamba HP-176207	Year Ended	2021-22
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5 TH FC	147490	632040	779530	767769	11761
2	SBM	405625	0	405625	115032	290593
3	SDP	62000	613133	675133	639155	35978
5	15 FC	571394	1024256	1595650	190655.88	1404994.12
6	14 TH FC	444593	9849	454442	391401	63041
7	MPLAD	0	150000	150000	143466	6534
8	VMJS	178571	0	178571	175445	3126
9	VKVNY	431	296851	297282	40551	256731
10	SDRF	0	0	0	0	0
11	MGKVY/NRLM	0	0	0	0	0
12	MGNREGA	0	5414669	5414669	5414669	0
	Total	1810104	8140798	9950902	7878143.88	2072758.12

Total				2022-23	
Grant in aid in r/o Gram Panchayat	" GP MOTLA "	Dev. Block Bhattiyat	Distt Chamba HP-176207	Year Ended	2022-23
1 5TH	11761	895082	906843	352172	554671
2 SBM	290593	0	290593	3000	287593
3 SDP	35978	0	35978	35470	508
5 15TH FC	1404994.12	1329382	2734376.12	887433.6	1846942.52
6 14th fc	63041	0	63041	63041	0
7 MPLAD	6534	0	6534	0	6534
8 VMJS	3126	1250000	1253126	882684	370442
9 VKVNY	256731	370000	626731	137775	488956
10 SDRF	0	460000	460000	466865	-6865
11 MGKVV/NRLM	0	66800	66800	66800	0
12 MNREGA	0	5160516.59	5160516.59	5160516.59	0
Total	2072758.12	9531780.59	11604538.71	8055757.19	3548781.52

	Balance as Per Bank on 31.03.23					
A/c No	Branch	Head				1098238.62
1 18010101687	HPS Co-Op bank Dhulara	Sabha Fund				1891479
2 18310101847	HPS Co-Op bank Dhulara	SBM/SDP/ICDS/5th SFC /SE/VKVNY/MGKVVY/NRLM/SDRF/VMJS/MPLAD/SF				0
3 19310104416	HPS Co-Op bank Dhulara	14TH FC				1846942.52
4 50100358478511,	HDFC Draman	15TH FC				0
	Cash In Hand					0
Total						4836660.14

					1209590
1	Cash Book Balance on 31.03.2023	(Own Source)			554671
2	Cash Book Balance on 31.03.2023		5TH		287593
3	Cash Book Balance on 31.03.2023		SBM		508
4	Cash Book Balance on 31.03.2023		SDP		1846942.52
6	Cash Book Balance on 31.03.2023		15TH FC		0
7	Cash Book Balance on 31.03.2023		14th fc		6534
8	Cash Book Balance on 31.03.2023		MPLAD		370442
	Cash Book Balance on 31.03.2023		VMJS		488956
	Cash Book Balance on 31.03.2023		VKVNY		-6865
	Cash Book Balance on 31.03.2023		SDRF		0
	Cash Book Balance on 31.03.2023		MGKVY/NRLM		0
			MNREGA		4758371.52
			Total		-78288.62
				Diffrence	

Note :-

Note :-
1. Opening Balance & Closing Balance Not Taken in General Manual Cash Book. So opening balances taken from Bank Pass book

2. Mnrega cash book not maintained so income and expenditure taken from mnrega financial position

पंचायत, सचिव
ग्राम, पंचायत, मोतला
विकास, खण्ड, पटियात
जिला, चम्बा (हिप्र०)

शादी पंजीकरण ग्राम पंचायत मोतला

क्र संख्या	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशी	वसूली गई राशी	सरकारी कोष में जमा न की गई राशी
1.	05	काला दाल	24-5-21	13-6-21	200	0	200
2.	06	मन्ना	20-6-21	06-7-21	25	0	25
3.	07	लखवी कुमारी	7-5-21	14-5-21	25	0	25
4.	08	कमाल सिंह	18-7-21	05-8-21	200	0	200
5.	9.	अमिता कुमारी	27-6-21	09-8-21	25	0	200
6.	10.	रंजीत कुमारी	26-8-21	31-8-21	200	0	200
7.	11	देव राज	28-7-21	06-9-21	25	0	25
8.	12	विवेक कुमारी	08-10-21	22-11-21	200	0	200
9.	13	विष्णु कुमारी	11-11-21	29-11-21	25	0	25
10.	14	अभिमान राणा	01-12-21	09-12-21	200	0	200
11.	15.	पूजा देवी, लखवी कुमारी	09-12-21	21-12-21	200	0	200
12.	01	लखमाल	12-11-21	03-01-22	200	0	200
13.	02	अमित कुमारी	07-02-22	14-02-22	25	0	25
14.	03	अमर सिंह	06-02-22	02-03-22	25	0	25
15.	04	पंकज कुमारी	20-02-22	15-3-22	200	0	200
16.	05	अश्विनी कुमारी	19-2-22	21-3-22	25	0	25
17.	06	सुभाष कुमारी	13-4-22	05-05-22	200	200	200
18.	07	सुनील कुमारी	22-4-22	05-05-22	50	50	50
19.	08	लखमाल कुमारी	03-5-22	17-05-22	200	200	200
20.	09	राजेश्वर राणा	23-4-22	21-05-22	200	200	200
21.	10	पंकज राणा	4-5-22	24-05-22	200	200	200
22.	11.	अमल देवी	18-5-22	03-06-22	50	50	50
23.	12	अदन लाल	26-5-22	23-06-22	200	200	200
24.	13	अदित्य राणा	21-6-22	29-7-22	200	200	200
25.	14.	सुरेश कुमारी	20-7-22	29-7-22	50	50	50
26.	15.	सुशील कुमारी	20-7-22	29-7-22	50	50	50
27.	16	जयंत सिंह	06-2-23	17-2-23	50	50	50
28.	17					1450	1450
							3225

22

4

पंचायत साधव
ग्राम पंचायत मोतला
विकास खण्ड मोतला
जिला बल्ला (हि0प्र0)



विवरण - 5 फरवरी 8.2 व 8.3 में दिए गए

GRAM PANCHAYAT "MOTLA" DEV. BLOCK BHATTIYAT, DISTT CHAMBA

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER FROM WHICH ROYALTY & GST NOT PAID/Deducted AND PAYMENT MADE WITHOUT JOINT SIGN

01-04-2021 TO 31-03-2023

SR.	NAME OF VENDER/	GRANTS/	VOUCHER/Bill	NAME OF	QTY.	QTY.	RATE OF	ROYLITY	AMOUNT	AMOUNT TO BE PAID	GST NOT DEPOSITED /PAID
NO.	SUPPLIER	HEAD	DATE	MATERIAL	M3	TONNE	ROYALTY	NOT PAID	PAID		
1	M/s Prithi singh tehsil sihunta	15th fe	p-41/16.08.22	sand	9.8	15.8	80	1266.3	20700.0	19714.3	985.7
2	M/s Prithi singh tehsil sihunta	15th fe	p-42/16.08.22	sand	5.0	8.0	80	642.3	10500.0	10000.0	500.0
3	M/s Prithi singh tehsil sihunta	15th fe	p-43/16.08.22	sand	2.5	3.9	80	309.9	5400.0	5142.9	257.1
4	M/s Prithi singh tehsil sihunta	14th fe	p-28-29/28.03.22	agg	25.5	38.7	60	2324.6	39600.0	37714.3	1885.7
5	M/s Prithi singh tehsil sihunta	14th fe	p-28-29/28.03.22	sand	12.7	20.6	60	1238.7	25200.0	24000.0	1200.0
6	M/s Prithi singh tehsil sihunta	SDP	SDP/2021-22/P-7/05.07.21	sand	5.8	9.4	60	564.3	11480.0	10933.3	546.7
7	M/s Prithi singh tehsil sihunta	SDP	SDP/2021-22/P-7/05.07.21	AGG	11.6	17.6	60	1059.0	18040.0	17181.0	859.0
8	Ramesh chand	SDP	SDP/2021-22/P-8/05.07.21	STONE	6.3	14.2	60	850.5		0.0	0.0
9	M/s Prithi singh tehsil sihunta	SDP	SDP/2021-22/P-29/26.07.21	sand	8.5	13.8	60	825.8	16800.0	16000.0	800.0
10	M/s Prithi singh tehsil sihunta	SDP	SDP/2021-22/P-29/26.07.21	AGG	15.6	23.7	60	1420.6	24200.0	23047.6	1152.4
11	Mahajan Traders main bazar sihunta	SDP	31/26.07.21	agg	13.9	21.1	60	1265.9	13880.0	13219.0	661.0
12				sand	9.1	14.7	60	881.6	11186.0	10653.3	532.7
13	M/s Prithi Singh	MNREGA	441/26/02/2022	Sand	7.6	12.4	80	990.7	15120.0	14400.0	720.0
14	M/s Prithi Singh	MNREGA	441/26/02/2022	Aggrigate	9.9	15.0	80	1203.8	15400.0	14666.7	733.3
15	M/s Prithi Singh	MNREGA	03/09/03/2022	Sand	17.7	28.7	80	2293.9	35000.0	33333.3	1666.7
16	M/s Prithi Singh	MNREGA	463/03/09/03/2022	Aggrigate	35.4	53.8	80	4307.1	55044.0	52422.9	2621.1
17	M/s Prithi Singh	MNREGA	03/09/03/2022	Sand	18.5	30.0	80	2396.3	36568.0	34826.7	1741.3
18	M/s Prithi Singh	MNREGA	462/03/09/03/2022	Aggrigate	37.0	56.2	80	4496.8	57464.0	54727.6	2736.4
19	M/s Prithi Singh	MNREGA	479/03/23/03/2022	Sand	19.8	32.1	80	2568.7	39200.0	37333.3	1866.7
20	M/s Prithi Singh	MNREGA	479/03/23/03/2022	Aggrigate	38.8	59.0	80	4716.9	60280.0	57409.5	2870.5
21	M/s Prithi Singh	MNREGA	489/03/23/03/2022	Sand	19.8	32.1	80	2568.7	39200.0	37333.3	1866.7
22	M/s Prithi Singh	MNREGA	489/03/23/03/2022	Aggrigate	38.2	58.1	80	4648.8	59400.0	56571.4	2828.6
23	M/s Prithi Singh	MNREGA	478/03/23/03/2022	Sand	14.2	22.9	80	1833.8	28000.0	26666.7	1333.3
24	M/s Prithi Singh	MNREGA	478/03/23/03/2022	Aggrigate	25.5	38.7	80	3098.4	39600.0	37714.3	1885.7
25	Kishan Chand R/o Ghuwantal	MNREGA	03/09/03/2022	Stone	9.5	21.4	80	1710.0	19000.0	18095.2	904.8
26	Ramesh Chan d R/o Lamba Draman	MNREGA	03/09/03/2023	Stone	6.6	10.7	80	855.4	13200.0	12571.4	628.6
27	M/s Prithi Singh	MNREGA	376/28/12/2021	Sand	12.0	19.5	80	1559.1	23800.0	22666.7	1133.3
28	M/s Prithi Singh	MNREGA	376/28/12/2021	Aggrigate	24.1	36.6	80	2926.3	37400.0	35619.0	1781.0
29	M/s Prithi Singh	MNREGA	375/27/12/2021	Sand	11.7	19.0	80	1521.5	23240.0	22133.3	1106.7
30	M/s Prithi Singh	MNREGA	375/27/12/2021	Aggrigate	23.5	35.7	80	2857.6	36520.0	34781.0	1739.0
31	M/s Prithi Singh	MNREGA	467/09/03/2022	Sand	15.0	24.3	80	1944.0	29680.0	28266.7	1413.3
32	M/s Prithi Singh	MNREGA	467/09/03/2022	Aggrigate	20.8	31.6	80	2529.3	32340.0	30800.0	1540.0
33	M/s Prithi Singh	MNREGA	378/29/12/2021	Sand	11.7	19.0	80	1521.5	23240.0	22133.3	1106.7

23

(B)

34	M/s Prithi Singh	MNREGA	378/29/12/2022	Aggrigate	23.5	35.7	80	2857.6	36520.0	34781.0	1739.0
35	M/s Prithi Singh	MNREGA	468/03/09/03/2022	Sand	14.0	22.7	80	1814.4	27720.0	26400.0	1320.0
36	M/s Prithi Singh	MNREGA	468/03/09/03/2022	Aggrigate	27.9	42.4	80	3392.6	43340.0	41276.2	2063.8
37	M/s Prithi Singh	MNREGA	380/29/12/2021	Sand	28.0	45.4	80	3628.8	55440.0	52800.0	2640.0
38	M/s Prithi Singh	MNREGA	380/29/12/2021	Aggrigate	56.3	85.6	80	6850.9	87560.0	83390.5	4169.5
39	M/s Prithi Singh	MNREGA	466/03/03/02/2022	Sand	18.4	29.8	80	2384.6	36400.0	34666.7	1733.3
40	M/s Prithi Singh	MNREGA	466/03/03/02/2023	Aggrigate	38.0	57.8	80	4620.8	59048.0	56236.2	2811.8
41	M/s Prithi Singh	MNREGA	469/09/03/2022	Sand	53.0	85.9	80	6868.8	105000.0	100000.0	5000.0
42	M/s Prithi Singh	MNREGA	470/09/03/2022	Aggrigate	100.0	152.0	80	12160.0	154748.0	147379.0	7369.0
43	Chain singh R/o Padhar	SDRF	05/23/09/2022	stone	9.9	22.3	80	1782.0	14400.0	13714.3	685.7
44	Chain singh R/o Padhar	SDRF	05/23/09/2023	Stone	9.9	22.3	80	1782.0	9900.0	9428.6	471.4
45	M/s Kaushal Transports	VJMS	332/20/11/2022	Aggrigate	17.0	25.8	80	2065.7	17040.0	16228.6	811.4
46	Suresh Kumar R/o Rihali	SDRF	11,12,15 /09/2022	Aggrigate (Local)	6.0	9.1	80	726.4	10550.0	10047.6	502.4
47	Suresh Kumar R/o Rihali	SDRF	13,14 /09/2022	Sand (local)	3.0	4.8	80	385.3	5250.0	5000.0	250.0
48	Chain singh R/o Padhar	SDRF	06-Sep-22	stone	2.4	5.4	80	432.0	4800.0	4571.4	228.6
49	Chain singh R/o Padhar	SDRF	07-Sep-22	Stone	5.0	11.1	80	891.0	4950.0	4714.3	235.7
50	M/s Kaushal Transports	VJMS	351/21/01/2023	Aggrigate	8.5	12.9	80	1033.6	8526.0	8120.0	406.0
51	M/s Prithi Singh	VJMS	03/28/02/2023	Sand	25.5	41.3	80	3302.2	54000.0	51428.6	2571.4
52	M/s Prithi Singh	SDRF	06/09/01/2023	Sand	4.2	6.9	80	550.4	9000.0	8571.4	428.6
53	M/s Prithi Singh	VKVNY	03/09/03/2023	Sand	8.5	13.8	80	1101.6	18000.0	17142.9	857.1
54	M/s Kaushal Transports	SDRF	06/09/01/2023	Aggrigate	6.6	10.0	80	798.7	6588.0	6274.3	313.7
Total				TOTAL				124627.4	1684462.0	1604249.5	80212.5

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal

Rate of Royalty is taken Rs 80 per Tonne as Per Second Schedule of Dept. Of Industry & Mining

Conversion Factor

2 A. From Square Feet to Cubic Meter M3

35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M³)

Common to all items Sand, Stone & Aggregate

3 B. From Cubic Meter (M³) to Tonne

One Cubic Meter (M³) Sand

1.62

One Cubic Meter (M³) Aggregate

1.52

One Cubic Meter (M³) Stone

2.24

4 All items Sand, Stone & Aggre. average weight are taken for conversion while cubic meter to tonne.

5 As per quotation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

6 stone taken in nos. so 100 nos. stone equal to 1 m3

Prithi Singh
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मौलला
विकास खण्ड गटियात
जिला चम्पा (हि0प्र0)

Prithi Singh
माली

6

24